

राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण स्कीम (आरजीएसइएजी)-सबला

तिमाही व्यय विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम \_\_\_\_\_ वित्तीय वर्ष \_\_\_\_\_  
 तिमाही (किसी एक पर निशान लगाएं) i (अप्रैल-जून)/ ii (जून-सितंबर) iii (अक्टूबर-दिसंबर)  
 iv (जनवरी-मार्च)

**भाग क : तिमाही (आरजीएसइएजी)-सबला बजट**

	केंद्रीय हिस्सा	राज्य का हिस्सा
1. पो-नण घटक _____	रु. _____	_____ रु.
2. गैर पो-नण घटक _____		

**उपयोगिता प्रमाण पत्र**

**1. पो-नण घटक :-**

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 20.....-20 की अवधि के लिए सबला के अंतर्गत पो-नण हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निर्मुक्त \_\_\_\_\_ रु. की कुल राशि में से \_\_\_\_\_ रु. की राशि का उपयोग उक्त उद्देश्य के लिए स्कीम के मानदण्डों के अनुसार तिमाही (i/ii/iii/iv) तक के लिए कर लिया गया है ।

इसमें से चालू तिमाही (i/ii/iii/iv) में \_\_\_\_\_ रु. की राशि का उपयोग किया गया था ।

तिमाही अवधि में कुल व्ययित राशि (राज्यों के हिस्से सहित) \_\_\_\_\_ रु. है ।

**2. गैर-पो-नण घटक :-**

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 20.....-20 की अवधि के लिए सबला के अंतर्गत गैर-पो-नण हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निर्मुक्त \_\_\_\_\_ रु. की कुल राशि में से \_\_\_\_\_ रु. की राशि का उपयोग उक्त उद्देश्य के लिए स्कीम के मानदण्डों के अनुसार तिमाही (i/ii/iii/iv) तक के लिए कर लिया गया है ।

इसमें से, \_\_\_\_\_ रु. की राशि का उपयोग चालू तिमाही (i/ii/iii/iv) में किया गया था ।

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर तथा मुहर

**भाग ख : वास्तविक**

**1. सबला स्कीम का क्षेत्र :**

- (i) सबला जिलों की संख्या \_\_\_\_\_
- (ii) सबला परियोजनाओं की संख्या \_\_\_\_\_
- (iii) सबला स्कीम को कार्यान्वित करने वाली परियोजनाओं की संख्या \_\_\_\_\_
- (iv) आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या \_\_\_\_\_
- (v) सबला स्कीम को कार्यान्वित करने वाले आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या \_\_\_\_\_
- (vi) रिपोर्ट भेजने वाले आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या \_\_\_\_\_

**2. पो-नण घटक के लाभार्थियों की संख्या**

- (i) पो-नण घटक का क्षेत्र (संख्याओं में)

श्रेणी	घर ले जाने वाला राशन	गर्म पकाया हुआ भोजन	कुल
स्कूल न जाने वाले 11-14 वर्ष के बच्चे			
स्कूल न जाने वाले 14-18 वर्ष के बच्चे			
स्कूल जाने वाले 14-18 वर्ष के बच्चे			
<b>कुल</b>			

- (ii) प्रति लाभार्थी प्रतिदिन पो-नण पर खर्च की गई राशि (राज्य के हिस्से सहित) \_\_\_\_\_ रु.

- (iii) प्रति माह औसत पो-नण दिवस \_\_\_\_\_

- (iv) पो-नाहारीय स्थिति\*: पो-नाहारीय ग्रेड सहित बालिकाओं की सं.  
सामान्य (सं.) \_\_\_\_\_  
कुपोषित (कु.) \_\_\_\_\_

\* सूत्र : बीएसआई (कि.ग्रा./एम<sup>2</sup>) = (वजन कि.ग्रा.में) ÷ (ऊंचाई मी. में x ऊंचाई मी. में)

**बीएसआई ≤ 18.5: कुपोषित**

**18.5 तथा 23.5 के बीच बीएमआई : सामान्य**

**3. गैर पो-नण घटक के लाभार्थियों की संख्या**

- (i) आईएफए अनुपूरण
- (क) प्रति किशोरी को वितरित औसत आईएफए की गोली \_\_\_\_\_
- (ख) शामिल लाभार्थियों की संख्या \_\_\_\_\_

- (ii) स्वास्थ्य जांच रेफरल सेवाएं  
 (iii) पो-नण और स्वास्थ्य शिक्षा पर परामर्श/दिशा निर्देश  
 (iv) परिवार कल्याण, एआरएसएच तथा बाल देखरेख पद्धतियों के बारे में परामर्श/दिशा निर्देश  
 (v) जीवन कौशल शिक्षा के बारे में परामर्श/दिशा-निर्देश  
 (vi) जन सेवाओं को प्राप्त करने के बारे में दिशा-निर्देश  
 (vii) व्यावसायिक प्रशिक्षण (16-18 वर्ष)

लाभार्थियों की संख्या

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

संख्या

4. (i) प्रचालित किशोरी समूह  
 (ii) प्रशिक्षित सखी/सहेली  
 (iii) प्रदत्त सबला किट

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- दर \_\_\_\_\_ रुपये प्रति किट

5. मानीटरन एवं पर्यवेक्षण समितियां : (चालू तिमाही तक)

गठित समितियों की संख्या

आयोजित बैठकों की औसत संख्या

- (i) राज्य स्तर  
 (ii) जिला स्तर  
 (iii) परियोजना स्तर  
 (iv) ग्राम स्तर

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**भाग ग : वित्तीय**

(रुपये लाखों में)

- 1 भारत सरकार द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में निर्मुक्त निधियां  
 2 पिछले वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि  
 3(क) पिछले वित्तीय वर्ष में प्रयुक्त की गई शे-न राशि (1-2)  
 अथवा  
 (ख) पिछले वित्तीय वर्ष में अधिक व्यय की गई राशि (2-1)  
 4 चालू वित्तीय वर्ष में पिछली तिमाही तक निर्मुक्त निधि

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(रुपये लाखों में)

- 5 भारत सरकार द्वारा चालू तिमाही में निर्मुक्त निधियां  
 (दिनांक \_\_\_\_\_ के संस्वीकृति आदेश सं. \_\_\_\_\_)

\_\_\_\_\_

- 6 वर्ष के दौरान कुल निर्मुक्त (4+5)

\_\_\_\_\_

- 7 निवल उपलब्ध केंद्रीय निधियां [6+3(क)] अथवा [6-3(ख)] जैसा भी मामला हो -

8 घटकवार व्यय

	तिमाही (i/ii/iii/iv)	कुल तिमाही (i/ii/iii/iv) तक
(i) पो-नण प्रावधान (केंद्रीय हिस्सा)	_____	_____
(ii) आंगनवाड़ी केंद्र के लिए सबला किटें	_____	_____
(iii) आईईसी सहित जीवन कौशल शिक्षा	_____	_____
(iv) आईईसी तथा जन सेवाओं को प्राप्त करने के बारे में दिशा निर्देशों सहित पो-नण स्वास्थ्य शिक्षा	_____	_____
(v) सखी/सहेली हेतु प्रशिक्षण	_____	_____
(vi) व्यावसायिक प्रशिक्षण	_____	_____
(vii) विविध (किशोरी दिवस आदि पर व्यय)	_____	_____
(viii) अन्य (किशोरी कार्डों/रजिस्ट्रों का मुद्रण आदि)	_____	_____
(ix) आईएफए देने पर लागत (जहां आईएफए स्वास्थ्य विभाग द्वारा नहीं दी जाती )	_____	_____
<b>कुल व्यय 8(i) से (ix) तक</b>	_____	_____
9 प्रयुक्त निधियां (7-8)	_____	_____

कारण \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

अथवा

10 अधिक व्यय (7-8) \_\_\_\_\_  
कारण \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

11	पो-नण हेतु राज्य का हिस्सा	तिमाही (i/ii/iii/iv)	कुल तिमाही (i/ii/iii/iv) तक
i	उपलब्ध	_____	_____
ii	प्रयुक्त	_____	_____

राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण स्कीम (आरजीएसइएजी)-सबला

वार्षिक व्यय विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम \_\_\_\_\_ वित्तीय वर्ष \_\_\_\_\_

**भाग क : वार्षिक (आरजीएसइएजी)-सबला बजट**

	केंद्रीय हिस्सा	राज्य का हिस्सा
1. पो-नण घटक _____	रु. _____	_____ रु.
2. गैर पो-नण घटक _____		

**उपयोगिता प्रमाण पत्र**

**1. पो-नण घटक :-**

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 20.....-20 की अवधि के लिए सबला के अंतर्गत पो-नण हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निर्मुक्त \_\_\_\_\_ रु. की कुल राशि में से \_\_\_\_\_ रु. की राशि का उपयोग उक्त उद्देश्य के लिए स्कीम के मानदण्डों के अनुसार तिमाही तक के लिए कर लिया गया है ।

वर्ष के दौरान कुल व्ययित राशि राज्यों के हिस्से सहित \_\_\_\_\_ रु. है ।

**2. गैर-पो-नण घटक :-**

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 20.....-20 की अवधि के लिए सबला के अंतर्गत गैर-पो-नण हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निर्मुक्त \_\_\_\_\_ रु. की कुल राशि में से \_\_\_\_\_ रु. की राशि का उपयोग उक्त उद्देश्य के लिए स्कीम के मानदण्डों के अनुसार तिमाही तक के लिए कर लिया गया है ।

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर तथा मुहर

**भाग ख : वास्तविक**

**1. सबला स्कीम का क्षेत्र :**

- (i) सबला जिलों की संख्या \_\_\_\_\_
- (ii) सबला परियोजनाओं की संख्या \_\_\_\_\_
- (iii) सबला स्कीम को कार्यान्वित करने वाली परियोजनाओं की संख्या \_\_\_\_\_
- (iv) आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या \_\_\_\_\_
- (v) सबला स्कीम को कार्यान्वित करने वाले आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या \_\_\_\_\_
- (vi) रिपोर्ट भेजने वाले आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या \_\_\_\_\_

**2. पो-नण घटक के लाभार्थियों की संख्या**

- (i) प्रतिदिन की दर प्रति लाभार्थी (राज्य का हिस्सा सहित) रु. \_\_\_\_\_
- (ii) पो-नण घटक का हिस्सा (संख्या में)

श्रेणी	घर ले जाने वाला राशन	ताजा पकाया हुआ भोजन	कुल
स्कूल न जाने वाले 11-14 वर्ष के बच्चे			
स्कूल न जाने वाले 14-18 वर्ष के बच्चे			
स्कूल जाने वाले 14-18 वर्ष के बच्चे			
<b>कुल</b>			

- (iii) प्रति माह औसत पो-नण दिवस \_\_\_\_\_
- (iv) वर्ष के दौरान औसत पो-नण दिवस \_\_\_\_\_
- (v) पो-नाहारीय स्थिति\*: पो-नाहारीय ग्रेड सहित बालिकाओं की सं.  
सामान्य (सं.) \_\_\_\_\_  
कुपोनित (कु.) \_\_\_\_\_

\*सूत्र : बीएसआई (कि.ग्रा./एम<sup>2</sup>) = (वजन कि.ग्रा.में) ÷ (ऊंचाई मी. में x ऊंचाई मी. में)

- बीएसआई ≤ 18.5: कुपो-नण
- 18.5 तथा 23.5 के बीच बीएसआई : सामान्य

**3. गैर पो-नण घटक के लाभार्थियों की संख्या**

- (i) आईएफए अनुपूरण \_\_\_\_\_
- (क) प्रति किशोरियों को वितरित औसत आईएफए की गोलियां \_\_\_\_\_
- (ख) शामिल लाभार्थियों की संख्या \_\_\_\_\_

लाभार्थियों की संख्या

- (ii) स्वास्थ्य जांच रेफरल सेवाएं \_\_\_\_\_
- (iii) पो-नण और स्वास्थ्य शिक्षा पर परामर्श/दिशा निर्देश \_\_\_\_\_

- (iv) परिवार कल्याण, एआरएसएच तथा बाल देखरेख पद्धतियों के बारे में परामर्श/दिशा निर्देश \_\_\_\_\_
- (v) जीवन कौशल शिक्षा के बारे में परामर्श/दिशा-निर्देश \_\_\_\_\_
- (vi) जन सेवाओं को प्राप्त करने के बारे में दिशा-निर्देश \_\_\_\_\_
- (vii) व्यावसायिक प्रशिक्षण (16-18 वर्ष) \_\_\_\_\_

संख्या

4. (i) प्रचालित किशोरी समूह \_\_\_\_\_
- (ii) प्रशिक्षित सखी/सहेली \_\_\_\_\_
- (iii) प्रदत्त सबला किट \_\_\_\_\_
- दर \_\_\_\_\_ रुपये प्रति किट

5. मानीटरन एवं पर्यवेक्षण समितियां : (चालू तिमाही तक)

	गठित समितियों की संख्या	आयोजित बैठकों की औसत संख्या
(i) राज्य स्तर	_____	_____
(ii) जिला स्तर	_____	_____
(iii) परियोजना स्तर	_____	_____
(iv) ग्राम स्तर	_____	_____

भाग ग : वित्तीय

(रुपये लाखों में)

- 1 भारत सरकार द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में निर्मुक्त निधियां \_\_\_\_\_
- 2 पिछले वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि \_\_\_\_\_
- 3(क) पिछले वित्तीय वर्ष में प्रयुक्त की गई शे-न राशि (1-2) \_\_\_\_\_
- अथवा
- (ख) पिछले वित्तीय वर्ष में अधिक व्यय की गई राशि (2-1) \_\_\_\_\_
- 4 पिछली तिमाही तक निर्मुक्त निधियां \_\_\_\_\_

तिमाही	संस्वीकृति आदेश		धनराशि (रु लाखों में)	राज्य द्वारा प्राप्त (दिन/माह/वर्ष)	जिले को भेजा गया (दिन/माह/वर्ष)
	सं.	दिनांक			
I					
II					
III					
IV					
कुल निर्मुक्त निधियां					

(रुपये लाखों में)

5 उपलब्ध निवल केंद्रीय निधियां [4+3(क)] अथवा [4-3(ख)]  
जैसी स्थिति हो

6 वर्न के दौरान वास्तविक व्यय

(i) पो-नण घटक—केंद्रीय हिस्सा  
पहली तिमाही  
दूसरी तिमाही  
तीसरी तिमाही  
चौथी तिमाही  
योग (क)

---

---

---

---

---

(i) पो-नण घटक—केंद्रीय हिस्सा  
पहली तिमाही  
दूसरी तिमाही  
तीसरी तिमाही  
चौथी तिमाही  
योग (क)  
कुल योग (क+ख)

---

---

---

---

---

---

7. वर्न के दौरान घटकवार व्यय

(रु. लाख में)

- (i) पो-नण (6 क)  
(ii) सबला कितें  
(iii) आईईसी सहित जीवन कौशल शिक्षा  
(iv) आईईसी तथा जन सेवाओं को प्राप्त करने के बारे में दिशा निर्देशों सहित पो-नण स्वास्थ्य शिक्षा  
(v) सखी/सहेली हेतु प्रशिक्षण  
(vi) व्यावसायिक प्रशिक्षण  
(vii) विविध (किशोरी दिवस आदि पर व्यय)  
(viii) अन्य (किशोरी कार्डों/रजिस्ट्रों आदि का मुद्रण)  
(ix) आईएफए देने पर लागत (जहां आईएफए स्वास्थ्य विभाग द्वारा नहीं दी जाती )

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

कुल व्यय का योग 7(i) से (ix) तक

---

8 प्रयुक्त निधियां (5-6)

---

कारण

---

---



अथवा

9 अधिक व्यय (6-5)

कारण

10 पो-ण हेतु राज्य का हिस्सा

(i) के दौरान उपलब्ध

पहली तिमाही

दूसरी तिमाही

तीसरी तिमाही

चौथी तिमाही

कुल योग

(ii) प्रयुक्त निधियां

पहली तिमाही

दूसरी तिमाही

तीसरी तिमाही

चौथी तिमाही

कुल योग

आवरण पृ-ठ

## राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण स्कीम-सबला

### रजिस्टर

महिला एवं बाल विकास विभाग

[राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम]

वित्तीय वर्ग :

रजिस्टर खोलने की तारीख :

ग्राम/मुहल्ला/स्थान का नाम :

सैक्टर का नाम :

परियोजना का नाम :

जिला/शहर का नाम :

आंगनवाड़ी केंद्र सं. :

आंगनवाड़ी केंद्र का पता :

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री का नाम :

आंगनवाड़ी सहायिका का नाम :



नए समाज की ओर  
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय







नोट :

स्कूल जाने वाली 11-14 वर्ग की किशोरियां	केवल छठे कॉलम तक ही सूचनाएं दी जाएं ।
स्कूल जाने वाली 14-18 वर्ग की किशोरियां	केवल सातवें कॉलम तक सूचनाएं दी जाएं ।
स्कूल छोड़ने वाली 11-18 वर्ग की किशोरियां	केवल ग्याहरवें कॉलम तक सूचनाएं दी जाएं ।
16 वर्ग से कम उम्र की स्कूल छोड़ने वाली किशोरियां	कॉलम सं. 12 और 13 भी भरे जाएं ।
कॉलम सं. 14 स्कीम छोड़ने वाली किसी भी किशोरी के लिए भरा जाएगा	

तालिका -2

मासिक सारांश : किशोरियों की संख्या

आंगवाड़ी क्षेत्र में कुल संख्या (भाग क के कॉलम 2 में सूचीबद्ध कुल किशोरियां) 1	पिछले महीने से नामांकित किशोरियां (कॉलम 4 (क) में कुल किशोरियां) 2	नई भर्ती (कॉलम 4 (ख) में कुल किशोरियां) 3	सबला छोड़ चुकी किशोरियां (कॉलम 14 में कुल किशोरियां) 4	कुल लाभार्थी=कॉलम 4 (क) + कॉलम 4 (ख)- कॉलम 14 5







**भाग ग : लाभार्थियों का व्यक्तिगत अभिलेख**

<b>खण्ड क और ख : 11-18 वर्ष की स्कूल जाने वाली और स्कूल छोड़ चुकीं किशोरियों के बारे में सूचनाएं भरी जाएं</b> <b>खण्ड ग : केवल स्कूल छोड़ चुकीं किशोरियों के बारे में सूचनाएं भरी जाएं</b> <b>खण्ड घ : स्कूल छोड़ चुकीं 11-18 वर्ष की सभी किशोरियों और स्कूल जाने वाली 14-18 वर्ष की किशोरियों के बारे में सूचना भरी जाएं</b>																															
क. पहचान विवरण						क्र.सं.		प्रथम नाम,				मध्यम नाम,				अंतिम नाम,															
पिता का नाम																माता का नाम															
जन्म तिथि		दि	दि	मा	मा	व	व	आयु (पूर्ण वर्षों में)								स्कूली स्थिति (किसी एक पर सही का निशाल लगाएं)				स्कूल में प्रवेश/ पुनः प्रवेश दिनांक											
																कक्षा				अंतिम कक्षा				स्कूल छोड़ने का माह							
पता :																															
ख. मार्गदर्शन/परामर्श सत्र (भाग लिए हुए सत्रों की संख्या)						तिमाही						पहली तिमाही (अप्रैल-जून)				दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर)				तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर)				चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च)							
पो-ण और स्वास्थ्य शिक्षा सत्र (एक तिमाही में कम से कम दो बार)																															
परिवार कल्याण, एआरएसएच और बाल देखरेख पद्धति सत्र (एक तिमाही में कम से कम तीन बार)																															
जीवन कौशल शिक्षा सत्र (एक तिमाही में कम से कम दो बार)																															
दौरा (ब्यौरा संलग्न करें) - डाकघर, बैंक, थाना, आदि (एक वर्ष में इनमें से प्रत्येक कम से कम दो बार)																															
ग. स्वास्थ्य सेवाएं						तिमाही						पहली तिमाही (अप्रैल-जून)				दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर)				तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर)				चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च)							
स्वास्थ्य जांच की तारीख																															
ऊंचाई (सेंटीमीटर में)																															
वजन (किलोग्राम में)																															
बीएमआई : (किलोग्राम/मी <sup>2</sup> )=वजन (किलोग्राम में) ÷ (ऊंचाई मीटर में) <sup>2</sup> *																															
स्थिति : एन-सामान्य: एम-कुपोनित																															
आईएफए गोलियों की संख्या						प्रदत्त																									
						प्रयुक्त																									
रेफर किया गया (हां/नहीं)																															

\* (18.5 से कम बीएमआई अल्पवजन और 18.5 तथा 23.5 के बीच बीएमआई सामान्य का संकेत करता है - किशोरी कार्ड के अंतिम पृष्ठ पर बने हुए चार्ट को देखें)





	29.												
	30.												
	31.												
[किशोरियों को प्राप्त पूरक पो-ण के कुल दिवसों की संख्या]													

स्कूली दाखिले, स्कूल छोड़ने, कक्षा में उत्तीर्ण, विवाह, प्रसव, मासिक धर्म के प्रारंभ इत्यादि जैसी महत्त्वपूर्ण घटनाओं की तिथि

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_



## राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण स्कीम - सबला रजिस्टर में प्रवृत्तियां करने के अनुदेश

**क** राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण स्कीम-सबला रजिस्टर का उद्देश्य क्या है : इस स्कीम के अंतर्गत सभी किशोरी लाभार्थियों की पहचान एवं उनका रिकार्ड रखने के लिए सबला रजिस्टर बनाया गया है । प्रत्येक वित्त वर्ष में नया रजिस्टर खोला जाना है ।

**ख** रजिस्टर को कैसे बनाए रखा जाता है ? राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण सबला स्कीम के रजिस्टर में मुख्य पृ-ठ और भाग 'क', 'ख' और 'ग' हैं :

- i. आंगनवाड़ी केन्द्र में स्कीम के अंतर्गत किये गये बुनियादी सर्वेक्षण घटक माने गए किशोरी बालिकाओं के रिकार्ड का सार भाग 'क' में शामिल है ।
- ii. आंगनवाड़ी केन्द्र के परिसर में सबला लाभार्थियों का मासिक रिकार्ड भाग 'ख' में रखा जाता है । (अर्थात् जिनका पंजीकरण सबला स्कीम के अंतर्गत होता है) यह भाग रजिस्टर के अलग पन्ने पर प्रत्येक माह भरा जाना होता है ।
- iii. आंगनवाड़ी केंद्र के परिसर में राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण स्कीम-सबला के लाभ लेने वाले प्रत्येक किशोरी लाभार्थी का व्यक्तिगत रिकार्ड भाग ग में रखा जाता है ।

### ग. रजिस्टर का उपयोग कैसे करें ?

- i. स्कीम के शुरु करने से पूर्व बुनियादी आंकड़े जुटाने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री मुख्य पृ-ठ तथा पन्ने में जानकारी भरेंगी । यदि किशोरी वास्तव में स्कीम की लाभार्थी है तो भाग क के खण्ड 10 में स्प-ट लिखा जाएगा ।
- ii. जब किशोरी राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण सबला स्कीम के अंतर्गत अपना नाम दर्ज कराने आंगनवाड़ी केंद्र में आती है तो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के पहले यह सुनिश्चित करना होता है कि उसका नाम और विवरण बुनियादी सूचना का हिस्सा तो नहीं अर्थात् रजिस्टर के भाग क में तो नहीं है । यदि किशोरी पात्र होगी, किशोरी इस स्कीम की लाभार्थी बनती है और उसकी सूचना रजिस्टर के भाग 'ख' में प्रवि-टि की जाएगी । यदि वह नई सदस्या है तो उसकी प्रवि-टि रजिस्टर के भाग क,ख,ग और घ में की जाएगी ।

### घ. रजिस्टर में प्रवि-टि कैसे करें ?

**i. मुख्य पृ-ठ :** मुख्य पृ-ठ में ग्यारह मदों को भरा जाना है ।

- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम लिखे ।
- वित्तीय वर्ष और उसमें रजिस्टर खोलने की तिथि लिखे । वर्ष 2010-11 के लिए रजिस्टर खोले जाने की तिथि सबला बुनियादी सर्वेक्षण में दिन/माह/वर्ष के प्रारूप में राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण सबला स्कीम आरंभ होने की तिथि होगी । उदाहरणार्थ 16.11.10
- आंगनवाड़ी केंद्र का नम्बर, ग्राम का नाम/मोहल्ला/स्थान और आंगनवाड़ी का पता लिखें ।
- आईसीडीएस सेक्टर और परियोजना का नाम साथ ही जिला/शहर जिसके अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्र आते हैं ।
- यहां आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और आंगनवाड़ी सहायिकाओं का नाम लिखा जाएगा ।

**ii. राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण स्कीम-सबला रजिस्टर का भाग क** यह आंगनवाड़ी केंद्र क्षेत्र में किशोरियों के रिकार्ड का सार है ।

- इसकी शुरुआत भाग क में बुनियादी सर्वेक्षण के आंकड़ों द्वारा होगी ।
- इस पन्ने के कॉलम 10 में, यदि किशोरियां वास्तविक रूप से इस सबला स्कीम का लाभ ले रही हैं तो उनके नाम के आगे 'हां' चिह्नित करना होगा और यदि वे सबला स्कीम का लाभ नहीं ले रहे हैं तो उनके नाम के आगे 'नहीं' लिखें ।
- **नई प्रविष्टि और स्कूल की स्थिति के लिए इस पन्ने के डाटा को प्रत्येक छह माह में अद्यतन किया जाना चाहिए ।**
- अंतिम अद्यतन की तिथि की प्रविष्टि इस पन्ने में की जानी चाहिए जिसे पेंसिल से लिखा जाए क्योंकि इस तिथि को नियमित बदलना पड़ेगा ।

**iii. राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण स्कीम-सबला के रजिस्टर का भाग ख :** यह लाभार्थियों का मासिक रिकॉर्ड है जिसे किशोरियों के लिए प्रविष्टि का रिकॉर्ड दर्ज किए जाने वाले माह में भरा जाना है ।

**तालिका 1 :**

- सही श्रेणी के अंतर्गत 11-14 वर्न आयु समूह और 14-18 वर्न आयु समूह की किशोरियों का विवरण सूचीबद्ध किया जाएगा ।
- 11-14 वर्न आयु की स्कूल जाने वाली किशोरियों संबंधी सूचना कॉलम छह तक ही भरें चूंकि वे माह में गैर पो-नाहारीय सेवाओं का लाभ ले सकती हैं ।
- 14-18 वर्न की आयु की स्कूल जाने वाली किशोरियों के पो-नाहार घटक की पात्र होने के कारण उनकी सूचना खण्ड 7 तक भरी जाएगी ।
- स्कूल न जाने वाली 11-18 वर्न की किशोरियों की सूचना कॉलम 11 तक भरी जाएगी ।
- स्कूल न जाने वाली 16 वर्न से अधिक आयु की किशोरियों की व्यावसायिक प्रशिक्षण से संबंधित सूचना कॉलम संख्या 12 और 13 में भरी जाएगी ।
- यदि किशोरी स्कीम से बाहर होती है तो कॉलम संख्या 14 भरा जाएगा । ऐसी परिस्थितियां निर्माण होने के तीन कारणों के लिए कोड है । सही कोड किशोरी के नाम के आगे भरें । ऐसी स्थिति में छोड़ दी गई किशोरी का नाम अगले माह के रिकार्ड में नहीं भरा जाएगा ।

1. 18 वर्न पूर्ण होने पर
2. प्रवास पर
3. मृत्यु

- **कॉलम संख्या 1-5 माह के आरंभ में भरें जाएंगे ।**

- ✓ **कॉलम 1 :** इस कॉलम में प्रविष्टि का क्रम संख्या डाले ।
- ✓ **कॉलम 2 :** सबला स्कीम की प्रत्येक किशोरी लाभार्थी का नाम लिखा जाए । पहला, मध्य और अंतिम नाम प्रोफार्मा में किशोरी के मतानुसार लिखा जाएगा ।
- ✓ **कॉलम 3 :** पूरे किए गए वर्न के साथ किशोरी की आयु लिखी जाए । उदाहरणार्थ यदि वह 12 वर्न 4 महीने की है तो 12 वर्न लिखा जाए ।
- ✓ **कॉलम 4 :** मद संख्या दर्शाएंगे कि किशोरी बालिका चालू माह में सदस्य बनी हैं (चूंकि वह 11 वर्न की हुई है या आंगनवाड़ी केंद्र में स्थानांतरित हुई हो या सेवाओं की सुविधा लेने का निर्णय किया हो) अथवा प्रविष्टि पिछले माह से आगे बढ़ाई गई है । संगत कॉलम 4 क या 4 ख पर चिह्न लगाएं ।

- ✓ **कॉलम संख्या 5** : किशोरी की स्कूली जानकारी भी भरी जाए । यदि किशोरी स्कूल में पढ़ती है, उस कॉलम में उसके नाम के आगे चिह्न लगाएं और यदि वह स्कूल में नहीं पढ़ती है तो उसी तरह उस कॉलम में उसके नाम के आगे चिह्न लगाए ।
- **कॉलम संख्या 6-14 माह के अंत में भरे जाएंगे** : सभी किशोरियों द्वारा लिए गए लाभों का सार, जिसे किशोरी लाभार्थियों के व्यक्तिगत रिकार्ड में से लिया जा सके अर्थात् सबला रजिस्टर के भाग ग से
- ✓ **कॉलम 6** : माह के दौरान किशोरी बालिका के भाग लिए मार्गदर्शन/परामर्श सत्रों की संख्या इस मद में भरा जाए ।
- ✓ **कॉलम 7** : माह के दौरान किशोरी को कितने दिन पो-नाहार मिला इस कॉलम में भरा जाए ।
- ✓ **कॉलम 8** : इस कॉलम में किशोरी ने स्वास्थ्य जांच शिविर में भाग लिया या नहीं भरा जाए, भाग लिया हो तो "हां" और भाग नहीं लिया हो तो "ना" लिखे ।
- ✓ **कॉलम 9** : किशोरी कार्ड के अंतिम पन्ने के शारीरिक संरचना चार्ट के आधार पर यह लिखा जाए कि क्या किशोरी कुपो-ण से पीड़ित तो नहीं इस कॉलम में उसकी पो-नाहारीय स्थिति लिखी जाए । यदि वह कुपो-णित है तो "एम" लिखे और यदि उसकी पो-नाहारीय स्थिति सामान्य है तो "एन" लिखे ।
- ✓ **कॉलम 10** : प्रत्येक किशोरी को माह में दी गई आईएफए गोलियों की संख्या इस मद में लिखे ।
- ✓ **कॉलम 11** : प्रत्येक किशोरी द्वारा माह में सेवन की गई आईएफए गोलियों की संख्या इस में लिखे । यह किशोरी द्वारा स्वयं या सखी/सहेली द्वारा रिपोर्ट की गई सूचना के आधार पर होगा ।
- ✓ **कॉलम 12** : 16 वर्ष से अधिक आयु की किशोरी के लिए यदि वह व्यवसायिक अन्य प्रशिक्षण (वीटी) ले रही है तो इसका ट्रेड का नाम भरें । यदि वह व्यावसायिक प्रशिक्षण नहीं ले रही है तो "एन" लिखे ।
- ✓ **कॉलम 13** : 16 वर्ष से अधिक आयु की व्यावसायिक अन्य प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली किशोरी ने माह के दौरान कितने प्रशिक्षण सत्रों में भाग लिया भरा जाए । यदि भाग नहीं लिया तो "एन" लिखे चूंकि यह प्रयोज्य नहीं है ।
- ✓ **कॉलम 14** : स्कीम छोड़ने वाली किसी भी बालिका के स्कीम छोड़ने के कारण इस कॉलम में लिखे । ये कारण कोड इस प्रकार हैं :
  1. 18 वर्ष पूर्ण
  2. प्रवास पर
  3. मृत्यु

**तालिका 2** : यह मासिक सार है इसे माह के अंत में भरा जाए ।

- **कॉलम 1**: आंगनवाड़ी केंद्र में कुल किशोरियों की संख्या भरी जाएगी । यह रजिस्टर के भाग क में सूचीबद्ध किशोरियों की कुल संख्या होगी ।
- **कॉलम 2** : विगत माह से पंजीकृत किशोरियों की संख्या भरी जाएगी । कॉलम 4 (क) में चिह्न लगाया जाए ।



- **कॉलम 3 :** माह में नई दर्ज किशोरी बालिकाओं की संख्या भरी जाएं । कॉलम 4 (ख) में चिह्न लगाया जाए ।
- **कॉलम 4 :** माह में सबला स्कीम छोड़ी हुई किशोरियों की संख्या भरी जाए यह कॉलम 14 से ली जाएगी ।
- **कॉलम 5 :** माह में सबला स्कीम की लाभार्थियों की कुल संख्या भरी जाएगी । इस गणना में कॉलम 2 एवं 3 को जोड़कर और उसमें से कॉलम 4 को घटाना है ।

#### iv. भाग ग : लाभार्थियों का व्यक्तिगत रिकार्ड

- सबला के तहत सेवाओं का वास्तविक लाभ लेने वाली किशोरियों का ब्यौरा भाग में भरा जाएगा ।
- **खण्ड क एवं ख :** 11-18 वर्न आयु की स्कूल जाने वाली/न जाने वाली दोनों किशोरियों के लिए भरा जाए ।
- **खण्ड ग :** केवल सभी स्कूल न जाने वाली किशोरियों के लिए भरा जाए ।
- **खण्ड घ :** स्कूल न जाने वाली किशोरियों के लिए भरा जाए : 11-18 वर्न और स्कूल जाने वाली किशोरियां : 14-18 वर्न चूंकि यह पो-ण घटक के लिए है ।
- **खण्ड क :** किशोरी की पहचान का ब्यौरा जिसमें इस प्रकार की जानकारी होनी चाहिए :
  - प्रवि-टि की क्रम संख्या । यह 1 से शुरु होकर आगे बढ़ती रहेगी । यदि किशोरी स्कीम छोड़ती है, क्रम संख्या पुनः आबंटित नहीं की जाएगी ।
  - उसका प्रथम नाम, मध्य नाम और अंतिम नाम । प्रत्येक खाने में एक अक्षर ही भरना है ।
  - उसके पिता का नाम
  - उसकी माता का नाम
  - दिन/महीना/वर्न वाले प्रारूप में
  - उसकी पूर्ण आयु (भाग ख के कॉलम 3 के अनुसार)
  - उसकी स्कूल की स्थिति । यदि वह स्कूल जाती है, तो (✓) चिह्न लगाए और किस कक्षा में पढ़ रही है, वह लिखे । यदि किशोरी स्कूल नहीं जाती है या स्कूल छोड़ चुकी है और पढ़ाई की गई अंतिम कक्षा यथोचित शी-र्न के आगे (✓) चिह्न लगाएं यदि वह कभी स्कूल नहीं गई है तो "0" लिखें
  - स्कूल न जाने वाली किशोरी के संदर्भ में स्कूल में भर्ती या पुनः भर्ती की तिथि दि/माह/वर्न के प्रारूप में
  - स्कूल जाने वाली किशोरी के मामले में स्कूल छोड़ने का माह
  - किशोरी के घर का पता

➤ **खंड-ख** - प्रत्येक तिमाही में किशोरी द्वारा कुल मार्गदर्शन/परामर्श सत्रों में भाग लेने की संख्या का रिकार्ड शामिल है (प्रत्येक तिमाही के अंतर्गत की संख्या लिखी जाए) जिसमें निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं :-

- पो-नाहार तथा स्वास्थ्य शिक्षा के प्रत्येक तिमाही में कम से कम दो सत्रों में भाग लेना अनिवार्य है। किशोरी कार्ड में इन दोनों सत्रों में प्रविष्टि तिथि दर्ज की जाए। दो सत्रों के अतिरिक्त सत्र के लिए उस संबंधित तिमाही के सामने (√) का चिन्ह लगाया जाए।
- प्रत्येक तिमाही में परिवार कल्याण, ए.आर.एस.एच. तथा बाल देखरेख शिक्षा सत्रों में कम से कम तीन सत्रों में भाग लेना अनिवार्य है। उपर्युक्त अनुदेश देखें।
- प्रत्येक तिमाही में प्रत्येक किशोरी को कम से कम दो जीवन कौशल शिक्षा सत्रों में भाग लेना अनिवार्य है। उपर्युक्त अनुदेश देखें।
- वर्ग में प्रत्येक किशोरी को डाक घर, बैंक, पुलिस स्टेशन इत्यादि में कम से कम दो बार प्रत्येक केन्द्र जाना अनिवार्य है। उन जगहों के नाम लिखें जहां किशोरी गई है।

➤ **खंड-ग** - प्रत्येक तिमाही में किशोरी द्वारा प्राप्त "स्वास्थ्य सेवाओं" का रिकार्ड शामिल है जिसमें निम्न क्षेत्र आते हैं :-

- प्रत्येक तिमाही में स्वास्थ्य जांच की तारीख का उल्लेख किया जाए। सामान्यतः, यह किशोरी दिवस पर किया जाएगा।
- प्रत्येक तिमाही में स्वास्थ्य जांच के दौरान किशोरी का सेंटीमीटर में नापे गए कद का उल्लेख किया जाए। सामान्यतः, यह किशोरी दिवस पर किया जाएगा।
- प्रत्येक तिमाही में स्वास्थ्य जांच के दौरान किशोरी का किलोग्राम में लिया गया वजन का उल्लेख किया जाए। सामान्यतः, यह किशोरी दिवस पर किया जाएगा।
- किशोरी का बॉडी मास इन्डेक्स कि.ग्रा. प्रति वर्गमीटर (कि.ग्रा./वर्गमीटर) में मापा जाएगा। इसके लिए किशोरी के कि.ग्रा. में वजन को उसके वर्ग मीटर कद से भाग कर किया जाएगा।
- किशोरी बालिका की पो-नाहारीय स्थिति, जिसमें -
  - यदि बॉडी मास इन्डेक्स 18 तथा 23.5 के बीच है - सामान्य स्थिति : "एन" लिखा जाए।
  - यदि बॉडी मास इन्डेक्स 18.5 से कम है - कुपो-ण स्थिति : "एम" लिखा जाए।
- किशोरी को प्रत्येक तिमाही में दी गई और उसके द्वारा सेवन की गई आयरन फॉलिक एसिड की गोलियों के विवरण के साथ आयरन फॉलिक एसिड की गोलियों की संख्या दर्ज की जाए। सेवन की गई गोलियों की संख्या का स्वयं द्वारा या सखी/सहेली के अनुसार रिकार्ड किया जाएगा।
- रेफरल स्थिति की प्रविष्टि भी की जाए। यदि किशोरी को रेफरल प्राप्त है तो उस संबंधित तिमाही के सामने "हाँ" लिखें और यदि उसे स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में चिकित्सीय सेवाएं लेने के लिए रेफर नहीं किया गया है तो "न" लिखें।

➤ **खंड - घ -** वर्ग के प्रत्येक माह में दैनिक आधार पर किशोरी द्वारा प्राप्त पो-नाहार का रिकार्ड इसमें शामिल है । यहां पो-नाहार के माध्यम को पहले चिन्हन लगाना आवश्यक है अर्थात् उसे पकाया हुआ खाना दिया गया या घर ले जाने के लिए राशन दिया गया । इसके बाद, प्रत्येक माह के दिनों में पो-नाहार दिए जाने की तिथि के सामने (√) चिन्ह लगाया जाए । तालिका के अंत में उसका योग किया जाए, जिससे किशोरी को महीने में कितने दिन पो-नाहार दिया गया है यह तय होगा । उदाहरण के तौर पर यदि घर ले जाए जाने वाला राशन 15 दिन में दिया जाता है तो उन दो सप्ताहों के सामने (रविवार को छोड़कर) 12(√) का चिन्ह लगाया जाए ।

➤ किशोरी के जीवन काल में महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए जगह छोड़ी जाए । दर्शाई गई घटनाएं संकेतात्मक हैं । अन्य कोई महत्वपूर्ण/प्रासंगिक घटना को यहां रिकार्ड किया जाए ।

\*\*\*\*\*

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा सबला-राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण स्कीम सबला की मासिक प्रगति रिपोर्ट -

- 1) आलोच्य माह एवं वर्न \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_
- 2) आंगनवाड़ी केंद्र का नाम तथा कोड \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_
- 3) क्षेत्र, परियोजना तथा जिले का नाम \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_
- 4) लाभार्थी विस्तार \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

4(क) - पो-नाहार घटक

श्रेणी	लाभार्थियों की संख्या	
	घर ले जाने वाला राशन	पका हुआ भोजन
(क) 11-14 वर्न : स्कूल न जाने वाली		
(ख) 14-18 वर्न : सभी		
• स्कूल जाने वाली		
• स्कूल न जाने वाली		

(ii) माह में कुल पो-नाहार दिन \_\_\_\_\_

(iii) पो-नाहारीय स्थिति\* : पो-नाहारीय ग्रेड के साथ बालिकाओं की संख्या

सामान्य(एन) \_\_\_\_\_

कुपोनित(एम) \_\_\_\_\_

\*सूत्र : बॉडी मास इन्डैक्स (कि.ग्रा./वर्गमीटर) = वज़न (कि.ग्रा.)÷ कद (वर्गमीटर में)

(18.5 से कम बॉडी मास इन्डैक्स अल्पवज़नी और 18.5 तथा 23.5 के बीच बॉडी मास इन्डैक्स सामान्य)

4(ख) - गैर - पो-नाहार घटक:

वि-नय	बालिकाओं की संख्या
(क) प्राप्त आयरन फॉलिक एसिड की गोलीयां	
(ख) प्राप्त स्वास्थ्य जांच सेवा	
(ग) दो पो-नाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा परामर्श सत्रों में भाग लिया	
(घ) तीन परिवार कल्याण, ए.आर.एस.एच. तथा बाल देख रेख शिक्षा परामर्श सत्रों में भाग लिया	
(ङ) दो जीवन कौशल शिक्षा परामर्श सत्रों में भाग लिया	
(च) कम से कम एक लोक सेवा हेतु दौरा कार्यक्रम किया (ब्यौरा संलग्न करें)	
(छ) व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया (16-18 वर्न) (विवरण संलग्न)	

5) माह के दौरान आयोजित मार्गदर्शक/परामर्श सत्रों की संख्या

विषय	कुल सत्र
(क) पो-नाहार तथा स्वास्थ्य शिक्षा	
(ख) परिवार कल्याण	
(ग) ए.आर.एस.एच.	
(घ) बाल देख रेख शिक्षा	
(ङ) जीवन कौशल शिक्षा	

6) स्कीम में नई प्रविष्टि तथा स्कीम छोड़ना :

नई प्रविष्टि		स्कीम छोड़ना	
कारण	संख्या	कारण	संख्या
स्कूल छोड़ना		स्कूल में प्रवेश/पुनः प्रवेश	
11 वर्ग की हुई		18 वर्ग पूरा किया	
अन्य कोई		अन्य कोई	

7) किशोरी समूह :

(क) किशोरी समूह की संख्या	
(ख) किशोरी समूह की सदस्यों की संख्या	
(ग) किशोरी समूह की बैठकों की संख्या	
(घ) सबला किट उपलब्ध (हां/ना)	

- 8) माह के दौरान किशोरी दिवस समारोह का आयोजन \_\_\_\_\_ हां/ना
- 9) आंगनवाड़ी केन्द्र/स्कूल/पंचायत भवन/अन्य किसी स्थान पर गैर पो-नाहारी सेवाएं प्रदान की गई (उल्लेख करें) \_\_\_\_\_
- 10) माह के दौरान ग्राम मानीटरन तथा पर्यवेक्षण समिति की आयोजित बैठकें \_\_\_\_\_ हां/ना
- 11) क्या ग्राम स्वास्थ्य तथा स्वच्छता समिति की बैठक में राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण स्कीम - सबला के विषयों पर चर्चा की गई \_\_\_\_\_
- 12) सबला स्कीम के संदर्भ में आ रही तीन मुख्य समस्याओं का उल्लेख करें :

- i. \_\_\_\_\_
- ii. \_\_\_\_\_
- iii. \_\_\_\_\_

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री का नाम: \_\_\_\_\_ आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के हस्ताक्षर: \_\_\_\_\_  
 तारीख \_\_\_\_\_

पर्यवेक्षक द्वारा सबला - राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण स्कीम सबला की मासिक प्रगति रिपोर्ट

- 1) आलोच्य माह एवं वर्ग: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_
- 2) क. क्षेत्र , परियोजना तथा जिले का नाम: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_
- ख. क्षेत्र में आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या: \_\_\_\_\_
- 3) आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या जिन्होंने मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की है : \_\_\_\_\_
- 4) लाभार्थी विस्तार :
- 4(क) - पो-नाहार घटक

श्रेणी	लाभार्थियों की संख्या	
	घर ले जाने वाला राशन	पका हुआ भोजन
(क) 11-14 वर्ग : स्कूल न जाने वाली		
(ख) 14-18 वर्ग : सभी		
● स्कूल जाने वाली		
● स्कूल न जाने वाली		

(ii) माह में औसत पो-नाहार दिन \_\_\_\_\_

(iii) पो-नाहारीय स्थिति\* : पो-नाहारीय ग्रेड के साथ बालिकाओं की संख्या

सामान्य(एन) \_\_\_\_\_

कुपोनित(एम) \_\_\_\_\_

\*सूत्र : बॉडी मास इन्डैक्स (कि.ग्रा./वर्गमीटर) = वज़न (कि.ग्रा.)÷ कद (वर्गमीटर में)

(18.5 से कम बॉडी मास इन्डैक्स अल्पवज़नी और 18.5 तथा 23.5 के बीच बॉडी मास इन्डैक्स सामान्य)

4(ख) - गैर - पो-नाहार घटक:

वि-नय	बालिकाओं की संख्या
(क) प्राप्त आयरन फॉलिक एसिड की गोलीयां	
(ख) प्राप्त स्वास्थ्य जांच सेवा	
(ग) दो पो-नाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा परामर्श सत्रों में भाग लिया	
(घ) तीन परिवार कल्याण, ए.आर.एस.एच. तथा बाल देख रेख शिक्षा परामर्श सत्रों में भाग लिया	
(ङ) दो जीवन कौशल शिक्षा परामर्श सत्रों में भाग लिया	
(च) कम से कम एक लोक सेवा हेतु दौरा किया (विवरण संलग्न)	
(छ) व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया (16-18 वर्ग)(विवरण संलग्न)	

5) माह के दौरान आयोजित मार्गदर्शक/परामर्श सत्रों की कुल संख्या \_\_\_\_\_

6) स्कीम में नई प्रविष्टि तथा छोड़ना :

नई प्रविष्टि		स्कीम छोड़ना	
कारण	संख्या	कारण	संख्या
स्कूल छोड़ना		स्कूल में प्रवेश/पुनः प्रवेश	
11 वर्ग की हुई		18 वर्ग पूरा हुआ	
अन्य कोई		अन्य कोई	

7) किशोरी समूह

(क) गठित किशोरी समूह की संख्या (समेकित)		
(ख) माह में प्रशिक्षित सखी/सहेली की संख्या		
(ग) आंगनवाड़ी केन्द्र में उपलब्ध सबला किट की संख्या		
(घ) स्थानों पर प्रदान किए गए गैर-पो-नाहारीय सेवाएं	स्थान	संख्या
	आंगनवाड़ी केन्द्र	
	स्कूल	
	पंचायत भवन	
	अन्य	

8) राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण स्कीम - सबला के मानीटरन के लिए माह में दौरे किए गए आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या : \_\_\_\_\_

9) आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या जहां किशोरी दिवस इस माह मनाया गया : \_\_\_\_\_

10) माह के दौरान मानीटरन तथा पर्यवेक्षण समिति की आयोजित बैठकों की गई उन गांवों की संख्या : \_\_\_\_\_

11) ग्राम स्वास्थ्य तथा पर्यवेक्षण समिति की बैठक में राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण स्कीम - सबला के विनयों पर चर्चा की गई उन आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या \_\_\_\_\_

12) सबला स्कीम के संदर्भ में आ रही तीन मुख्य समस्याएं और उसपर आपके द्वारा की गई कार्रवाई का उल्लेख करें

क) समस्याएं \_\_\_\_\_

ख) की गई कार्रवाई \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

पर्यवेक्षक का नाम: \_\_\_\_\_ हस्ताक्षर: \_\_\_\_\_ तारीख \_\_\_\_\_



सी.डी.पी.ओ. द्वारा - राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण स्कीम सबला की मासिक प्रगति रिपोर्ट

- 1) आलोच्य माह एवं वर्ग: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_
- 2) क. परियोजना तथा जिले का नाम: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_
- ख. परियोजना में क्षेत्रों की संख्या: \_\_\_\_\_
- ग. परियोजना में आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या \_\_\_\_\_
- 3) आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या जिन्होंने मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की है : \_\_\_\_\_
- 4) लाभार्थी विस्तार :
- 4(क) - पो-नाहार घटक

श्रेणी	लाभार्थियों की संख्या	
	घर ले जाने वाला राशन	पका हुआ भोजन
(क) 11-14 वर्ग : स्कूल न जाने वाली		
(ख) 14-18 वर्ग : सभी		
• स्कूल जाने वाली		
• स्कूल न जाने वाली		

(ii) माह में औसत पो-नाहार दिन \_\_\_\_\_

(iii) पो-नाहारीय स्थिति\* : पो-नाहारीय ग्रेड के साथ बालिकाओं की संख्या

सामान्य(एन) \_\_\_\_\_

कुपोनित(एम) \_\_\_\_\_

\*सूत्र : बॉडी मास इन्डैक्स (कि.ग्रा./वर्गमीटर) = वज़न (कि.ग्रा.) ÷ कद (वर्गमीटर में)

(18.5 से कम बॉडी मास इन्डैक्स अल्पवज़नी और 18.5 तथा 23.5 के बीच बॉडी मास इन्डैक्स सामान्य)

4(ख) - गैर - पो-नाहार घटक:

वि-नय	बालिकाओं की संख्या
(क) प्राप्त आयर्न फॉलिक एसिड की गोलीयां	
(ख) प्राप्त स्वास्थ्य जांच सेवा	
(ग) दो पो-नाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा परामर्श सत्रों में भाग लिया	
(घ) तीन परिवार कल्याण, ए.आर.एस.एच. तथा बाल देख रेख शिक्षा परामर्श सत्रों में भाग लिया	
(ङ) दो जीवन कौशल शिक्षा परामर्श सत्रों में भाग लिया	
(च) कम से कम एक लोक सेवा हेतु दौरा कार्यक्रम किया (विवरण संलग्न)	
(छ) व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया (16-18 वर्ग) (विवरण संलग्न)	

5) माह के दौरान आयोजित मार्गदर्शक/परामर्श सत्रों की संख्या \_\_\_\_\_

6) स्कीम में नई प्रविष्टि तथा स्कीम छोड़ना :

नई प्रविष्टि		स्कीम छोड़ना	
कारण	संख्या	कारण	संख्या
स्कूल छोड़ना		स्कूल में प्रवेश/पुनः प्रवेश	
11 वर्ग की हुई		18 वर्ग पूरा किया	
अन्य कोई		अन्य कोई	

7) किशोरी समूह

(क) गठित किशोरी समूह की संख्या(समेकित)		
(ख) माह में प्रशिक्षित सखी/सहेली की संख्या		
(ग) आंगनवाड़ी केन्द्र में उपलब्ध सबला किट की संख्या		
(घ) स्थानों पर प्रदान किए गए गैर-पो-नाहारीय सेवाएं	स्थान	संख्या
	आंगनवाड़ी केन्द्र	
	स्कूल	
	पंचायत भवन	
	अन्य	

8) राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण स्कीम - सबला के मानीटरन के लिए माह में सी.डी.पी.ओ. द्वारा दौरा किये गये आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या : \_\_\_\_\_

9) माह के दौरान किशोरी दिवस मनाने वाले आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या : \_\_\_\_\_

10) माह के दौरान ग्राम मानीटरन तथा पर्यवेक्षण समिति की आयोजित बैठकों की संख्या : \_\_\_\_\_

11) आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या जिन्होंने ग्राम स्वास्थ्य तथा सफाई समिति की बैठक में राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण स्कीम - सबला के वि-यों पर चर्चा की है \_\_\_\_\_

12) मानीटरन तथा पर्यवेक्षण समिति की आयोजित बैठकें : हां/ना

13) राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण स्कीम सबला के संदर्भ में आ रही तीन मुख्य समस्याएं और उस पर आप द्वारा की गई कार्रवाई

क) समस्याएं \_\_\_\_\_

ख) की गई कार्रवाई \_\_\_\_\_

सी.डी.पी.ओ.का नाम: \_\_\_\_\_ हस्ताक्षर: \_\_\_\_\_ तारीख \_\_\_\_\_

जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा - राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण स्कीम-सबला की मासिक प्रगति रिपोर्ट

- 1) आलोच्च माह एवं वर्ग: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 2) जिले का नाम: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

3) क. राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण स्कीम - सबला जिलों में क्षेत्र/परियोजनाओं की संख्या \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

ख. राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण स्कीम - सबला जिलों में आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

ग. आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या जिन्होंने मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की है : \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

4) लाभार्थी विस्तार :

4(क) - पो-नाहार घटक

श्रेणी	लाभार्थियों की संख्या		दर प्रति किशोरी
	घर ले जाने वाला राशन	पका हुआ गर्म भोजन	
(क) 11-14 वर्ग : स्कूल न जाने वाली			
(ख) 14-18 वर्ग : सभी			
• स्कूल जाने वाली			
• स्कूल न जाने वाली			

(ii) माह में औसत पो-नाहार दिन \_\_\_\_\_

(iii) पो-नाहारीय स्थिति\* : पो-नाहारीय ग्रेड के साथ बालिकाओं की संख्या  
 सामान्य(एन) \_\_\_\_\_  
 कुपोषित(एम) \_\_\_\_\_

\*सूत्र : बॉडी मास इन्डैक्स (कि.ग्रा./वर्गमीटर) = वज़न (कि.ग्रा.)÷ कद (वर्गमीटर में)  
 (18.5 से कम बॉडी मास इन्डैक्स अल्पवज़नी और 18.5 तथा 23.5 के बीच बॉडी मास इन्डैक्स सामान्य)

4(ख) - गैर - पो-नाहार घटक:

वि-नय	बालिकाओं की संख्या
(क) प्राप्त आयरन फॉलिक एसिड की गोलीयां	
(ख) प्राप्त स्वास्थ्य जांच सेवा	
(ग) दो पो-नाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा परामर्श सत्रों में भाग लिया	
(घ) तीन परिवार कल्याण, ए.आर.एस.एच. तथा बाल देख रेख शिक्षा परामर्श सत्रों में भाग लिया	
(ङ) दो जीवन शैली शिक्षा परामर्श सत्रों में भाग लिया	
(च) कम से कम एक लोक सेवा हेतु दौरा कार्यक्रम किया (विवरण संलग्न)	
(छ) व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया (16-18 वर्ग) (विवरण संलग्न)	

5) माह के दौरान आयोजित मार्गदर्शक/परामर्श सत्रों की कुल संख्या \_\_\_\_\_

6) स्कीम में नई प्रवि-टि तथा स्कीम छोड़ना :

नई प्रवि-टि		स्कीम छोड़ना	
कारण	संख्या	कारण	संख्या
स्कूल छोड़ना		स्कूल में प्रवेश/पुनः प्रवेश	
11 वर्ग की हुई		18 वर्ग पूरा किया	
अन्य कोई		अन्य कोई	

7) किशोरी समूह

(क) गठित किशोरी समूह की संख्या (समेकित)		
(ख) माह में प्रशिक्षित सखी/सहेली की संख्या		
(ग) आंगनवाड़ी केन्द्र की संख्या जहां सबला किट उपलब्ध है		
(घ) स्थानों पर प्रदान किए गए गैर-पो-नाहारीय सेवाएं	स्थान	संख्या
	आंगनवाड़ी केन्द्र	
	स्कूल	
	पंचायत भवन	
	अन्य	

- 8) क. राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण स्कीम - सबला के मानीटरन के लिए माह में आई.सी.डी.एस. पर्यवेक्षक द्वारा दौरा किये गये आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या : \_\_\_\_\_
- ख. राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण स्कीम - सबला के मानीटरन के लिए माह में आई.सी.डी.एस., सी.डी.पी.ओ. द्वारा दौरा किये गये आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या : \_\_\_\_\_
- ग. राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण स्कीम - सबला के मानीटरन के लिए माह में जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा दौरा किये गये आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या : \_\_\_\_\_
- 9) माह के दौरान किशोरी दिवस मनाने वाले आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या : \_\_\_\_\_
- 10) माह के दौरान मानीटरन तथा पर्यवेक्षण समिति की बैठक की गई उन गांवों की संख्या : \_\_\_\_\_
- 11) ग्राम स्वास्थ्य तथा सफाई समिति की बैठक में राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण स्कीम - सबला के वि-नों पर चर्चा की गई आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या \_\_\_\_\_
- 12) मानीटरन तथा पर्यवेक्षण समिति की आयोजित बैठकें : हां/ना
- 13) राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण स्कीम सबला के संदर्भ में आ रही तीन मुख्य समस्याएं और उस पर आप द्वारा की गई कार्रवाई

क) समस्याएं \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

ख) की गई कार्रवाई \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

जिला कार्यक्रम अधिकारी का नाम: \_\_\_\_\_ हस्ताक्षर: \_\_\_\_\_ तारीख \_\_\_\_\_